

काम दरावटी की दूसरी बित्ति लेन्डिंग शॉर्ट व इन्डिपेंडेंट  
एवं ट्रैक्टर।

दिन: अप्रृत्युल १५ अप्रृत्युल, वाराणसी दिनांक १५ अप्रृत्युल  
परलाकी प्राप्ति नं/के. ३-४३/१९५. ४६३ दिनांक १५. ५. ०६ के  
भागीदार के दाता काहर जी ने एकार्ड वाली दरबाने से लेकर दूसरी  
दरावटी ५% वार्षिक ५००००/- (पाँच हजार रुपया) भागी  
दाता के दाता की दूसरी भागीदार जी ने एकार्ड वाली दरबाने से  
दूसरी दरावटी दूसरी दरावटी की दूसरी दरावटी की दूसरी दरावटी।

राजेश

१-७-०६

C. P. (मह)

१-७-०६

Regd No ७७०६३६

Date ८.७.०६

R.S. २९००/-

०

८८८

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

प्राथमिक/मुक्ता विद्यालय, नैरसी/होड़ाला

प्रस्तुति . . . १५/११/२०२३ का एक आविष्कृत वर्णनक्रम-निर्माण नंगी स्कूलकृति कार्यक्रमियों द्वारा प्राप्त थे। एक जारी रखते वर्णनक्रम-निर्माण हेतु कुल प्राककलित राशि रु० ०५७९०/- (एक लाख उन्नीस हजार और सौ रुपयोगी) है जिसमें से निर्माण वाह और रु० १.५६,०००/- (एक लाख सौ चार हजार रुपयोगी) विद्या सुपरविजन घारी २८० ३१०/- (तीन हजार और सौ रुपयोगी) है।

उल्लङ्घन: इस अधिवेशन में एक निर्माण कार्य प्रदर्शन करते हैं एक प्राककलित राशि का ७५% अर्द्धाल् रु० ११९९२.५/- (एक लाख उन्नीस हजार और सौ पचास रुपयोगी) प्रथम क्रियत की राशि जारिगा जैसे एक प्राथमिक/मध्यविद्यालय विद्या-समिति प्राथमिक/मध्यविद्यालय, नैरसी/होड़ाला के पदनाम से एक निर्माण करने हेतु आदेश देना चाहते हैं।

आदेशकारी

शाकि

चैक-सं०

रिप्रि

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

ठाकुरा राजिया के गुरुगांडा दर

अंतर्गत उप-कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अनुसन्धान रिपोर्ट के अनुसार इसके द्वारा उप-कार्यालयों की एक विवरणीय रिपोर्ट दी गयी है। इसके अनुसार, उप-कार्यालय जारी की गयी रिपोर्ट में इनका विवरण दिया गया है।

इस अनुसार, उप-कार्यालय के अनुसार इनकी विवरणीय रिपोर्ट दी गयी है। इनकी विवरणीय रिपोर्ट के अनुसार, उप-कार्यालय के अनुसार इनकी विवरणीय रिपोर्ट दी गयी है।

प्राप्तवित्त रकम

143925/- उपलब्ध करता

उपयोगिता प्रणाण-पत्र / पत्रों पुस्तकार के अनुसार .....

तक निर्माण कार्य हो युक्त है तथा समये ..... 156538/-

प्रणाण-पत्र प्रत्युत्त है। विद्यालय शिक्षा समिति को विक्री कर सकता

रायस्ती समये ..... 2349/- की कटौती करते हुए अगले विवर

7134/- उपलब्ध कराने को आदेश देना चाहेंगे एवं अगले

वार्षिकों का रामायोजन करते हुए संधिका बन्द करने का आदेश देना चाहेंगे।

विवरोंकी विवरण

भेजकर्ता  
14.08.07

DKWV  
24/8/07

31/8

Advanu.	143925/-
Rspn. M.B.	156538/-
(+) Cr.	2349/-
(-) VAT	3131/-
total.	151059/-
Balanc. Am.	7134/-

Dr. No. 823968/10  
847134/-

MGB  
21.8.07

श्री

## दृष्टा दिष्ट

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक छारा

**प्रखण्ड समिति के बीच इच्छा**

..... निमोन हेतु एक्सारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की  
एस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।



प्रथम पक्ष

प्रखण्ड समिति के बीच समन्वयक  
( पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर )



**प्रखण्ड समिति**

द्वितीय पक्ष



अध्यक्ष

- (i) पुरा नाम - 
- (ii) हस्ताक्षर - 


सचिव

- (i) पुरा नाम - 
- (ii) हस्ताक्षर - 

प्रधानशिक्षक

- (i) पुरा नाम - 
- (ii) हस्ताक्षर - 

खाता सं - 608

बैंक का नाम - 

समिति का मुहर -



- (4) सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्वर-1 के अनुरूप हो (उगई, इरा, आइ.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक राष्ट्रीय हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रूण करेगा तथा पर्यवेक्षक / अभियंता हारा दिये गये तकनीकी सलाह / निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार को अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार उदाधिकारी / निरीक्षक / सहायक अधियता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण करायेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्रावकलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बान्धूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संभाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराने रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैरा / सामग्री के मलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के डधूठी के लहन वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैप्स की फटाफेने कर सकती है।)
- 7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्थैतिकति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वक बोरोड (ओटे-ओटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या गान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना शिकाई लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में नई सरकारी संस्था / निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या गोरी होने की, नहीं या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
- B. विवाद या मतभेद :— यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एवं रासनीय के लिये भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिंवार-विमर्श कर हल ढुढ़ने का प्रयत्न करेंगे किर भी मतभेद नहीं सुलझने पर वह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल दिया जा सकता है।)

४.१ निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतित हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

#### ५. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरानामा की तिथि से ..... (महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के तिलित सहमति से इस कांडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### ६. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

६.१ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कमी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

६.२ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रत्याख्यात कार्य के लिए नववों की टीम प्रतियोगी प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

६.३ जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्तिस प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कर्नीय अभियंता एवं सगिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्नीय अभियंता कार्य प्रगति का अट तिन व्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के समिव हारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

६.४ एकरानामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

#### ७. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

##### ७.१ द्वितीय पक्ष :-

(१) कांडिका ५ में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।

(२) निर्माण कार्य के लिए विविध वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराएगा।

(३) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित वह वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराएगा।

# सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

## एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... फो प्रखण्ड समाजवा कीन्द्र समन्वयक ..... ~~त्रिवेदी~~ ..... (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से रखनीची होंगी) और विद्यालय शिक्षा राशिरि ..... ~~त्रिवेदी~~ ..... प्रखण्ड ..... ~~त्रिवेदी~~ ..... (जो इसके बाद हितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच ..... ~~त्रिवेदी~~ ..... निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित रूपी पर एकरारनामा बनाया जाता है।
2. ठेके की कीमत :— कार्य के कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) ..... (शब्दों में ..... ) है।

### 3. निधि आवंटन :-

- 3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा भासिते के रास्त से जो खरता खोला गया है जिसका संचालन प्रथानारागाल्क राशा राशिव के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खरते से इस कार्य की राशि जगा की जायेगी। राशि प्रखण्ड समाजवा कीन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में विभिन्न किया जायेगा

अंतिम रेक्टर कमरा एवं अन्य रकीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	इंतजारिय
1. प्रथम किस्त	50%
2. द्वितीय किस्त	35%
3. तृतीय किस्त	15%

- 3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निमाँगी स्थल पर नियुक्त कर्नीय अभिदना और सहायक अभियंता द्वारा विभिन्न प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का रास्त से उस 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।
4. खाता का संचारण :— द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग अलग रखेगा यह अरीरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(5)

धी

## संकेत

अध्यात्म, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन बोर्ड समन्वयक द्वारा

## आदित्य वार्ताप्रिवाद समिति के द्वारा

गिराण हेतु एक्सारभाषा किया गया था जिसे निम्नलिखित में  
वार्ताप्रिवाद में वर्णित किया गया और प्रत्युत किया गया।

प्रथम चक्र

हितीय चक्र

1 प्रथम चक्र के रामानुजक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुद्रा )

## रामानुज अकादमी

1 वार्ता

(i) पुरा नाम - श्री रामानुज  
(ii) हस्ताक्षर - श्री रामानुज

2 राधिव

(i) पुरा नाम - श्री रामानुज  
(ii) हस्ताक्षर - श्री रामानुज

3 प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - श्री रामानुज  
(ii) हस्ताक्षर - श्री रामानुज

साता सं० - ६०८

बैंक का नाम - श्री अंग्रेज बैंक लॉन्ड्रिंग

समिति का मुहर



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर १ के उन्नुसन हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी गे प्राथमिकता दो जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न घरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैन खरीदारी निर्देश ने अनिवार्य है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक / अभियता द्वारा दिये गये राहनीकि सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक, सहायक अभियता को गूढ़ित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह रुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुलम् फुल प्राप्तिलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बादजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड रामाधन केन्ट को कार्य की प्रगति से अवगत रहता रहेगा।
- (9) निर्माण के दीरज पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के डक्टरी के तहत यहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स दी जाती हैं कर राकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूरारा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए यीस वके बैरिस (छोटे-छोटे रत्त) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी स्थाया या भान्ट निर्माण रास्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करना सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी स्थाया/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की नफाद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी होगी और प्रधान पक्ष का इसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा।

8. विवाद या मतभेद : यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एक सरनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार विमर्श कर इत दुड़ने का प्रयास करेंगे किर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष सखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

४.१ नियंत्रित करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतिक्रिया के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जापा करने का अधिकार होगा।

### ५. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से ..... (महीना, सप्ताह / दिन) से कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कांडिकम उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

### ६. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

६.१ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यावरण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित घूमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

६.२ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवाँ की तीन प्रतियोगी प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

६.३ जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर संबंधित कनीया अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीया अभियंता कार्य प्रगति का अवासन द्वारा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सुचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम सम्मुखीन रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

६.४ एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

### ७. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

#### ७.१ द्वितीय पक्ष :-

- (1) कांडिका ५ में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

# सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

## एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्राप्त, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक ..... ग्राहकार्यालय ..... (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... भारतीय विद्यालय समिति ..... प्रखण्ड ..... निला ..... जौठ ..... (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच ..... द्वारा ..... उनकी ..... निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।
  
2. ठेके की कीमत :— कार्य की मुल लागत (जो इसके बाद 'मुल लागत' कहा जायेगा ..... ) (शब्दों में ..... ) है।
  
3. नियम आवंटन :—
  
- 3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्ययक तथा साधेद के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते ग इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
  
- 3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :—

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य रकमें	शौचालय
	(प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	(प्राक्कलित लागत का % के ८५ %)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	—
3. तृतीय किस्त	15%	25%

  
- 3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्नीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा दिहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा प्रियक्नी निर्गत राशि का कम से कम ५० प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का १०० प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।
  
4. खाता का संघारण :— द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग और रखेगा यह औरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के प्रमाण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

४

## कृष्णा त्रिवेदी

अध्येता विकालन खिला अर्मांती और प्रस्तुपद संसाधन के द्वारा समन्वयक हुआ।

## प्राचीन वाकासंग्रह समिति के बीच श्री उग्ररा







निमोण हेतु एक सारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की रजिस्ट्रेशन में इस्ताबद्दि किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्राचीन वाका

द्वितीय पक्ष

१. प्राचीन वाकासंग्रह समिति  
(पुरा नाम इस्ताबद्दि एवं मुहर)

## क्रिजल्ड फूट राष्ट्र

१. विद्यक  
 (i) पुरा नाम -   
 (ii) हस्ताक्षर - 
२. संविध  
 (i) पुरा नाम -   
 (ii) हस्ताक्षर - 
३. प्रधानशिक्षक  
 (i) पुरा नाम -   
 (ii) हस्ताक्षर - 

साता सं० - ६०४

बैंक का नाम - बौंग्हरेली लैंक, १२०४५

समिति का मुहर -



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक उत्पाद हो खरीदारी गे प्राथमिकता दी जाय तथा वह संधीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में ऑकेत है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुशृणण करेगा तथा पर्याप्तक /अनियता द्वारा 'ऐये गये तकनीकी सलाह / निर्देश का प्राप्तन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के द्वितीय, प्रखण्ड शिक्षा प्रणार पदाधिकारी/निरीक्षक / सहायक अधिकारी को सूचित करेगा और आवश्यक स्पर्शकरण मार्ग देगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नवशे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राककलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड सलाधन केन्द्र द्वारा कार्य की प्रगति से अवगत कराना रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा / सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा;
- (10) सभी प्रकार के उद्योगी के तहत वहन करने का प्राक्षयन है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के द्वारा इस प्रकार के टैक्स भी कटौति कर सकती है।)
- 7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्भाव कार्य को पूरा करने के लिए प्रिय वक्त देसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या गान्द निर्गाल राज्य जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के छोने या चोरी होने की, नाम या मजदुर क्षतिग्रूहि भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
8. विवाद या मतभेद : यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद (एफरारनामा) या किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विवार-विभार कर हल दूढ़ने का प्रयास करें फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुल्ह हेतु जिले के जिलाधिकारी के सम्म सखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.4 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतित हों, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जाप्त करने का अधिकार होगा।

#### 5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरात्रनामा की तिथि से .....(महीना, रात्राह/दिन) से कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कांडिका उत्तराखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण समय अवधि में सांबंधित सामानों की मुण्डता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवरों की तीन प्रतियों प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रत्येषु स्तर पर संबंधित कर्नीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्नीय अभियंता कार्य प्रगति का अंत घौरा और कार्य में होने वाली ऊँठिनाईयों का उत्तोख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरात्रनामा में उत्तराखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापरा करने की मांग कर सकता है।

#### 7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

##### 7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कांडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

## सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

### एकरारनामा प्रपत्र

१. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिएक समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति प्रखण्ड जिला के संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का चलेंगा) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।
२. ठेके की कीमत :— कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद कुल लागत कहा जायेगा) (शब्दों में ..... ) है।

#### ३. नियम आवंटन :—

- ३.१ द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संबालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव कहस्ताक्षर हो रहा है, उसमें खाते में इस कार्य की राशि जमा हो जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- ३.२ प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :

अतिरिक्त करना एवं अन्य रकीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय
१. प्रथम किस्त	50%
२. द्वितीय किस्त	35%
३. तृतीय किस्त	15%
	—
	25%

- ३.३ प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्नीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहिन प्रपत्र में उपयोगिता प्रकाश पत्र दिये जाने पर लग्या पिछली निर्गत राशि का कम से कम ५० प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का १०० प्रतिशत रखर्त कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।
४. खाता का संधारण :— द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग और दोनों यह दोनों प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

श्री

अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संस्थान कन्द्र समन्वयक द्वारा

ज्ञानविद्या एवं विज्ञान समिति का बैच

विमोण हेतु १५.३.२०१४ किंवा तारीख विद्यालयिक तथा  
जात्यक्षमते मे हस्ताक्षर किए गए और प्रस्तुत किया गया।


प्रथम भाग

द्वितीय भाग


१. प्रखण्ड संस्थान कन्द्र समन्वयक  
( पुरा नाम , हस्ताक्षर एव मुहर )

प्रखण्ड संस्थान कन्द्र


अध्यक्ष

- (i) पुरा नाम - श्री अमित शर्मा
- (ii) हस्ताक्षर - 

सचिव

- (i) पुरा नाम - श्री दीपक शर्मा
- (ii) हस्ताक्षर - 

३. प्रधानशिक्षक

- (i) पुरा नाम - श्री अमित शर्मा
- (ii) हस्ताक्षर - 

खाता सं० - ६०६

बैंक का नाम - कोइ इंग्लैंड लैंड बैंक लंडनपुर  
समिति का मुहर



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकता नुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय प्रगति के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंग खरीदारी निर्देश में अकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रूति करेगा तथा पर्यवेक्षक / अभियंता ब्रांड दिये गये तकनीकि रासाह / निर्देश का प्राप्त करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को एहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रध्याण शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / निरीक्षक / सहायक अभियंता ने सूचित करेग और आवश्यक स्पष्टीकरण मार्गेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेग कि कावं नक्शे और प्राप्ति के अनुरूप, कुल प्राप्तिलिंग राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रध्याण प्रसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैरा / सामग्री के गलत उपयोग को गोकर्णेगा।
- (10) सभी प्रकार के डगू भी के तहत बहन करने का प्राप्तियान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौती कर सकती है।)

7.2 विश्व परिविति में दूरस्थ पक्ष एहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए यीस वकं बैंसस (छोटे-छोटे रूप) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या भान्ड निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिविति में गैर सरकारी संस्था, निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने सा चोरी होने की, नकद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विवाद या मतभेद : यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एक सरनामा के किसी भी रूप पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार विमर्श कर हल ढूँढने का प्रयत्न करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आवेदन जो आवश्यक प्रतित हो के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जाप्त करने का अधिकार होगा।

#### 5. कार्य पूरा करने की अवधि :—

इस एकरासनामा की तिथि से ..... (महीना, सप्ताह / दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कड़िका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :—

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यावरण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवरों की तीन प्रतियोगी प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अटलन व्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीप संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरासनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की भाँग कर सकता है।

#### 7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :—

##### 7.1 द्वितीय पक्ष :—

- (1) कड़िका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर भजदूरी मुगतान करेगा।

१६

## सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

### एकरारनामा प्रपत्र

१. यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में हिस्ता  
सम्बन्धीय **ज्ञानवाचक** ( जो इसके बाद प्रश्न प्रष्ट के नाम से उच्चारित होंगे ) और विद्यालय शिक्षा समिति **प्रखण्ड** **कार्यालय** ( जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम  
के संबोधित होंगे ) के बीचे **कार्यकारी** निर्माण कार्य ( कार्य के नाम पर उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित गति पर एकरारनामा बनाया जाता है।

२. ठेके की कीमत :— कार्य को नुन लागत ( जो इसके बाद "फूल लागत" कहा जायेगा )  
( शब्दों में ..... ) है।

३. निधि आवंटन :—

३.१ द्वितीय पक्ष द्वारा समीक्षा के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संबलन प्रधानाध्यापक तथा राजेव के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में दुन कर्त्ता की राशि जमा जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

३.२ प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जाएगा —

अंतिरिक्ष उभय एव अन्य रक्षीय (प्राकृतिक लागत का % के रूप में)	शौचालय
१. प्रथम किस्त	५०%
२. द्वितीय किस्त	३५%
३. तृतीय किस्त	१५%
	२५%

३.३ प्रत्येक चरण का मुगलान निम्नांक रखने पर नियुक्त कर्त्ता और सहायक अधिकारी हार विहित प्रगति में उत्त्योगिता प्रमाण पर दिते जाने पर तथा प्रियली निर्गत राशि का कम से कम ५० प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का १०० प्रतिशत रखने कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

४. खाता का संचारण :— द्वितीय पक्ष द्वारा राशि पर कार्य करने के लिए फिरे गये मुगलान के खर्च का अत्यन्त व्यीरा रखेगा यह व्यीरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो उस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

४५

श्री २१८१/१२/१८ अवधि, विद्यालय किसा समिति,  
 श्री राजेश बहुली सचिव, विद्यालय किसा समिति,  
 श्री ईश्वरी कुमार चंद्र विद्यालय के सम्पादक समिति के हितों की ओर  
 प्रतिभिष्ट समझे जायें और प्रस्तुत अनुसन्धान के सम्बन्धका के बीच १२३५० रुपये देखा गया। (३)  
 निर्माण हेतु एकरात्रनामा किया गया।

इस अनुसन्धान के बाहर इसका उपयोग नहीं हो सकता। इसका उपयोग नहीं हो सकता।  
 इसका उपयोग नहीं हो सकता। इसका उपयोग नहीं हो सकता।

प्रथम यज्ञ विद्यालय किसा समिति

पुरा नाम :- डॉ. बाबू बहुली

१. प्रस्तुत संस्थान केन्द्र समन्वयक  
 (पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

१. अवधि, ना. २१८१/१२

पुरा नाम :-

हस्ताक्षर :- ११८१/१२

२. सचिव,

पुरा नाम :- श्री लक्ष्मी बहुली

हस्ताक्षर :- डॉ. बाबू बहुली

३. प्रथम विद्यक,

पुरा नाम :- संजया कुमार

हस्ताक्षर :- संजया कुमार

प्रस्तुत विद्यालय

विद्यालय विद्यालय  
 विद्यालय, विद्यालय

एकरात्रनामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

(१) डॉ. बाबू बहुली सदस्य (विद्यालय किसा समिति)

(२) डॉ. बाबू बहुली विद्यालय (विद्यालय किसा समिति)

खाता नं :- ६०४

१. एक का नाम :- डॉ. ऊर्मिला लैफ़ माल्हुर  
 समिति का मुहर :-

## 7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कठिका 5 में निर्धारित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुराल और दोग्र व्यक्ति को कार्य में लगाएंगा;
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर भजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एकेक्यर-1 के अनुसार हो (आइ.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राप्तिहक्ता ही उसी तथा वह राष्ट्रीय क्षय प्रक्रिया के तहत विभिन्न वर्षों के लिए खरीदी जाए, जैसा कि विषय वैक खरीदारी निर्देश में वर्णित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्याप्तण और अनुब्रवण करेगा तथा पर्याप्तक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकि सनाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनिवार्यता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सुनिश्चित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्ते और प्रारूप के अनुसार कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीपत घटने बढ़ने के बावजूद छिया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड रांगाघन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत ठहराएंगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के डयूटी के तहत बहन करने का प्राक्क्यान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वीक वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुधाराय गैर सरकारी संस्था या नान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक खरीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के लोने या चोरी होने की, नकद या मजदूर कार्यपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उत्तमी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

6 विवाद या भत्तेद :— यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या भत्तेद एकरारनाम के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विवाद-भिन्न कर दस दूड़ने का प्रयास करेंगे फिर भी भत्तेद नहीं सुलझने पर वह विवाद सुलग देने जिसे के पदाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें कोई बदल किया जा सकता है।)

(१३)

बी. श्री अर्जुन कुमार, विद्यालय शिक्षा समिति,  
 बी. कुमोदी इंद्रजीत कुमार, सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,  
 बी. संजय कुमार, विद्यालय के प्रशासक्यापक जो द्वितीय फल के  
 प्रशिक्षिय समझे जावेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के लिए —— “एक एक समझ”  
 निर्माण हेतु एकत्रितामा किया गया।

प्रथम फल

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र  
समन्वयक

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र  
समन्वयक

द्वितीय फल

- अमरा. श्री अर्जुन कुमार  
पुरा नाम :-  
हस्ताक्षर :- भावना कुमार
- सचिव,  
पुरा नाम :- कुमोदी इंद्रजीत  
हस्ताक्षर :- कुमोदी इंद्रजीत
- प्रधान विकास,  
पुरा नाम :- संजय कुमार  
हस्ताक्षर :- संजय कुमार

एकत्रितामा निम्नलिखित की स्वीकृति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (१) श्री अर्जुन कुमार, उदास्य (विद्यालय शिक्षा समिति)
- (२) कुमोदी इंद्रजीत, उदास्य (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता रु. :- 608

वैक रु. नाम :- को अंडररीटिंग लैंड, मुंबई

समिति का मुहर :-

### 7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कठिका ५ में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
  - (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
  - (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
  - (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्सर-१ के अनुसर हो (आई.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय कल्याण प्रोजेक्टों के तहत विभिन्न घरणों के लिए सभीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अकिञ्चन है।
  - (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रूति करेगा तथा पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा दिये गये राकींकि सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
  - (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड विकास प्राप्त विधिकारी/नियोनेक्सर/सहायक अधिकारी को सुनिश्चित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
  - (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुसर, कुस प्राककलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत पट्टै छड़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
  - (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र की कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
  - (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गतित उपयोग को रोकेगा।
  - (10) जबीं प्रकार के उद्योग के तहत यहन करने का प्राक्षयान है। ( प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के ट्रैक्स की कटौति कर सकती है।)
- 7.2 पिंडेश परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस और बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य का सकरते हैं या किसी सुयोग विर सरकारी संस्था या भान्य निर्माण संस्था जिसका पुश्ता रिकार्ड लोक खरीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में विर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खाने या खोने होने की, नकद या मजदूर कालिकूरी भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उत्तरी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
8. विवाद या भत्तेद :— यदि कार्य को सेवन किसी भी प्रकार का विवाद या भत्तेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विवाद-विभार कर हस छुड़ने का प्रयास करेंगे किर भी भत्तेद नहीं सुलझाने पर वह विवाद हुलाह हेतु जिसे के पदाधिकारी के सम्म रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

श्री ३/१ ३८०९/१२

अम्बल, विद्यालय शिक्षा समिति

२०१५/१६

श्री मुख्यमंत्री सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,

श्री अमरनाथ गुप्त एवं उपसचिव शिक्षा समिति को प्रतिनिधि समझे जावेंगे और प्रधारणा समिति को उपसचिव के रूप में नियुक्त होकर शिक्षा समिति को नियन्त्रण हेतु एक रासनामा दिया गया।

इसके बाद इसके बाद उपसचिव शिक्षा समिति को नियुक्त करने के लिए एक बैठक आयोजित की गयी।

प्रधारणा समिति के बाबत विवरण

- प्रधारणा समिति के बाबत  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

२०१५/१६/५८/५१९

प्रधारणा समिति  
हस्ताक्षर, चौंमारापुर

- प्रधारणा समिति

पुरा नाम :-

हस्ताक्षर :- २०१५/१६/५८/५१९

- सचिव,

पुरा नाम :- मुख्यमंत्री श्री

हस्ताक्षर :- २०१५/१६/५८/५१९

- प्रधारणा समिति,

पुरा नाम :- संजय शुभ्राम

हस्ताक्षर :- २०१५/१६/५१९

एक रासनामा नियन्त्रित की उपसिद्धि में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

(१) २०१५/१६/५८/५१९ सदस्य, विद्यालय शिक्षा समिति

(२) २०१५/१६/५८/५१९ सदरब, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता सं :- ६०८

किंचन नाम :- डॉ कृष्णरेट्ट लैन, माधुपुर-

समिति का मुहर :-

### 7.1 तीव्र फल :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्वाचन कार्य पुरा करेगा;
  - (2) निर्वाचन कार्य के लिए कृष्णल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लागाएगा।
  - (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर बजदूसी मुगाजान करेगा।
  - (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्ष्टर-1 के अनुच्छेद हो (आई.एस.आई.) प्रभागित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राप्तिकला दी जाय तथा ऐह राष्ट्रीय तथ्य प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जिस कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अनिवार्य है।
  - (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्याप्तकरण और अनुश्रुतण करेगा तथा पर्याप्तकरण/अनिवार्य द्वारा दिये गये तकनीके सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
  - (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहने रख के नियंत्रित, प्रखण्ड शिक्षा प्रस्तर पदाधिकारी/नियंत्रक/सहायक अधिदला द्वारा नुष्ठित करेगा, और आवश्यक स्टॉर्करण भागेगा।
  - (7) यह गुनिंचत लरणा के कार्य नहीं है, इसके अनुच्छेद कुल प्राक्कलिता तक उन्नत अन्दर भाष्ट्री की कीमत पटने वडने के बायजूद किया जा सकता है।
  - (8) प्रखण्ड असाधन रैन्क को कार्ग की प्रगति के अनुसार बदला रहेगा।
  - (9) नियांन के दोनों पक्ष/सामग्री के गस्त दृष्टान् तो होंगे।
  - (10) सभी प्रकार के उद्योगी के तहत बहन कानून, प्रदर्शन है; प्रथम पक्ष नियांन भाग कानून के तहत इस प्रकार के दृस्त दो कटौति कर सकता है।

विशेष परिस्थिति में दूनसा पक्ष पहले यह क्योंकि स्वास्थ्य से निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए वीस पर्क डेविल (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुधारणा और सरकारी सम्बन्ध या पाल्य निर्माण सम्बन्ध उपराजक रिकार्ड लाइब्रेरी-हाउस में अन्य रहा है जो कार्य करना चाहता है। इस परिस्थिति में यह सरकारी सम्बन्ध/निर्माण सम्बन्ध का जिम्मेदारी किसी की प्रक्रिया को सापड़ी के खिले या घोरी होने का नकद या भजदूर क्षमियति पूर्णतया अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के पुरातात्व का जिम्मेदारी उसकी हाँ और प्रथम पक्ष का इसमें दोई उत्तरदायीत नहीं रहेगा।

**पिंडाद या मतभेद** :— यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का पिंडाद या मतभेद एकत्रायनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विनाश कर हल बुझने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं मुस़ाम्मने पर यह पिंडाद खुलह हेतु जिले के पदाधिकारी के सम्म रखा जाएगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

(23)

व्री ४/८ ३.८.११/१२ अम्बा, विद्यालय लिखा समिति,  
व्री भूमोद्धारेनी सचिव, विद्यालय लिखा समिति,  
व्री संजय कुमार विद्यालय के प्रधानस्थापक जो हिन्दीय भाषा के  
प्रतिनिधि समझे जायेगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के सेवा ..... ३५५.५५५  
नियमानुसार एकरास्तामा किया गया।

### प्रश्न वाच

१. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

३५५.५५५.५५५

विद्यालय लिखा समिति  
प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक  
प्रधानपुरुष की/गान्धी

### हिन्दीय भाषा

१. अम्बा, ४/८ ३.८.११/१२:  
पुरा नाम :-  
हस्ताक्षर :- ३५५.५५५
२. सचिव,  
पुरा नाम :- ३५५.५५५  
हस्ताक्षर :- ३५५.५५५
३. प्रधान लिखक,  
पुरा नाम :- संजय कुमार  
हस्ताक्षर :- संजय कुमार

एकरास्तामा निम्नलिखित जी उपरिवर्ति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (1) ३५५.५५५.५५५ सदस्य, (विद्यालय लिखा समिति)  
(2) ३५५.५५५.५५५ सदस्य, (विद्यालय लिखा समिति)

खाता सं. - ६०८

बैंक का नाम - को ऑपरेटर लैक्स मध्यपुर  
समिति का मुद्रा -

### 7.1 वित्तीय जगत् :—

- (1) फ़ाइका ६ में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुलल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी मुगलाजन करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्स-१ के अनुरूप हो (आड़-ए-आड़) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक उभय दो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय काय प्रक्रिया के तहत विभिन्न घटनों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विषय बैंक खरीदारी नियंत्रण में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से काये की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुप्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अधियंत्र द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अधियंत्र को सुनिश्चित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण देंगे।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्राप्ति के अनुरूप, कुल प्राप्तकालित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य भी प्रगति से अवगत बनाता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) उनी प्रकार के छायाँ के तहत बहन करने का प्रबन्धन है। ( प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है )

7.2 पिशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस बर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भगीदारी में अस्ता रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदूर लातिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घठनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होती और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विद्याद या मतभेद :— यदि कार्य को सेवन किसी भी प्रकार का विद्याद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विद्याद-विभर्स कर डल बुझने का प्रयास करेंगे जिन भी मतभेद नहीं तुलझने पर वह विद्याद भुलड हेतु जिसे के पदाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

४

४. खारद का संवादन:- द्वितीय पक्ष, हमारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये मुगलान के कार्य का अलग बोध स्वेच्छा यह भीषण प्रथम पक्ष के सा अच दर्ता के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिशियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

४.१ निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष के आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जैसे आवश्यक प्रवृत्त हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खासा जनन करने का अधिकार होगा।

५. कार्य पूरा करने की अपेक्षा—

इन एकरारनामा की लिधि से ..... (महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कठिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

६. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

६.१ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्याक्रम के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जीघ करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित घूमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी होंगे।

६.२ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवरों की एक प्रक्रियां प्राप्त और मार्गदर्शन होगा।

६.३ जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अच व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कर्मीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षा में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का अध्यात्म भीशा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के संधिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होता। निर्माण कार्य का लेखा-जोड़ा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

६.४ एकरारनामा ने उल्लेखित किये गये किसी भी रातों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दोषान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्वामित कर सकता है और मुगलान किये गये वाकि को पुनः वापस करने की भाँग कर सकता है।

७. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-



## सर्व शिक्षा अभियान, और एकत्रारनामा प्रपत्र

1. यह एकत्रारनामा प्रपत्र, एकत्रारनामा के रूप में दिया गया है को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र सम्पदवाक **मुमुक्षु** (जो इसके बाद प्रथम पत्र के नाम से संबोधित होगे) और विद्यालय शिक्षा समिति **प्राइटिवाल्ड चास्ट्रालिया** प्रखण्ड **मार्टनपुर** जिला **कोरोबाट** (जो इसके बाद द्वितीय पत्र के नाम से संबोधित होगे) के बीच **३० अक्टूबर** निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित रूपों पर एकत्रारनामा बनाया जाता है।
2. ट्रेक की कौमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (राज्यों में ..... ) है।

### 3. निधि आवंटन :-

- 3.1 द्वितीय पत्र द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रशान्तवापक तथा भौतिक की हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राजि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के मानकम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3.2 प्रथम पत्र द्वारा निर्माण कार्य के लिए मुगलाम निम्नलिखित रूप में निर्णय किया जायेगा :-

निर्णित करना एवं अन्य स्थैतिक	शीक्षालय
(प्राप्तकर्तित लागत का % के रूप में)	(प्राप्तकर्तित लागत का % के रूप में)

1. अवधि किरण 75% 75%

2. अवधि किरण 25% 25%

- 3.3 प्रत्येक चरण का भूगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का स्थीर (S.O.E.) और भारी पुस्तिका (M.B.) में जो राशि होता रहते जाते हुए विभिन्न निर्णय राजि का कर से कर 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्णय राजि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। प्रथम पत्र द्वारा अगले चरण की राशि निर्णय की जायेगी।

4. खाता का संवारण:- हिंसीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खबर का अलग और स्वेच्छा यह और प्रथम पक्ष के या अन्य दर्ताएँ के बचपन के समय जो इस कार्य के निरैक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरैक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
- 4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जास करने का अधिकार होगा।

#### 5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकशरणामा की लिखित से ..... (महिना, सप्ताह / दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष नियमिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस काफिका उत्त्वेति समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष की कार्यता और उत्तरदायित्व :-

- 6.1 प्रथम पक्ष, हिंसीय पक्ष को प्राप्ति के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पदबोधण के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्ति के अनुसार निर्माण और निर्माण तथा विवरण सामानों की मुलबता को जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राप्तिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित प्रश्न करेंगे और लिखित मार्गदर्शन की दृग्।
- 6.2 प्रथम पक्ष, हिंसीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवार्ता की एक प्रतिवान प्राप्ति और मार्गदर्शन देगा।
- 6.3 जल्ता परियोजना अन्वयन या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कर्मीय अधियंता एवं संभिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में नुपार किया जा सकता है); पैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अधियंता कार्य ज्ञाति का अद्यतन और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित सभिति के सहित द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरैक्षण कर सकती है।
- 6.4 एकरात्रामा में उल्लंघित किये गये किसी भी जाति की अवहेलन करने पर या कार्य स्थल पर के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होता कि वह निर्माण के दीरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या रद्दीत कर सकता है और भुक्तान किये गये चालि के पुनः वापस करने की मान कर सकता है।

#### 7. हिंसीय पक्ष के अधिकार और कार्यता :-

## सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबा

### एकत्ररक्षामा प्रयत्न



- वह एकत्ररक्षामा प्रयत्न, एकत्ररक्षामा के रूप में दिनांक \_\_\_\_\_ को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र रामनगर के \_\_\_\_\_ (जो इसके बाद \_\_\_\_\_ एवं \_\_\_\_\_ नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति \_\_\_\_\_ पुस्तकालय द्वारा लिखा जायेगा (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच \_\_\_\_\_ निर्माण कीर्ति (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित तातों पर एकत्ररक्षामा बनाया जाता है।
- ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा (शब्दों में \_\_\_\_\_) है।
- नियम आवंटन :-

- द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाली खोला गया है विद्यालय संचालन प्रधानाध्यापक तथा समिति के उस्ताद्दर से हो रहा है, उसी खाले में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के प्रधान से उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रधान पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए सुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

अतिरिक्त कम्सा एवं अन्य स्वीकृति	संचालन
(प्रावक्षलित लागत का % के रूप में )	(प्रावक्षलित लागत का % के रूप में )

1. प्रधान किसी	75%	75%
2. अतिरिक्त किसी	25%	25%

- फ्रेंड चरण का शूगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का एस.ओ.ई. (S.O.E.) और भारी पुस्तक (M.B.) में जो कम होगा उसे मानते हुए विकल्पी निर्मत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्मत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया जाया है। प्रधान पक्ष द्वारा अबले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खात का संधारण:- हिंदीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये मुनाफान के बारे का अलग बोला भेजा गए और प्रथम पक्ष के या अन्य दसों के ब्रह्मण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए गतिशील होंगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्योदय जो आवश्यक प्रतीत हो, के समान प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जापा करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकारणनामा की लिधि से .....(नाइना, सप्ताह / दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के निश्चित सहमति से इस कानूनिक उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, हिंदीय पक्ष के प्राकृष्ट के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित भवनदर्शन एवं पर्योगण के लिए उत्तरदायी होगा। प्राकृष्ट के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जीव करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, हिंदीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवाँ की एक प्रतीक्षी प्राकृष्ट और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिस परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य अल्प प्रछण्ड स्तर पर संबंधित कर्तीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में चुनाव किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभागी कर्तीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन बोला और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए दूसी दीन संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकारणनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी सती की अद्देलना करने पर या कार्य स्थल के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी सम पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुनाफा किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. हिंदीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-



## सर्व शिक्षा अभियान, और एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक ..... भौति-भृति ..... (जो इसके बाद प्रबन्ध पत्र के नाम से संबोधित होगे) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... उठा रियाल्य ट्राई लिंग्हा ..... प्रखण्ड ..... जिला ..... झोलुका ..... (जो इसके बाद द्वितीय पत्र के नाम से संबोधित होगे) के द्वारा ..... २२-५-१९८४ ..... निर्गत कार्य ( कार्य के नाम का उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित रूप से पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत ( जो इसके बाद " कुल लागत " कहा जावेगा ..... ( रुपों में ..... ) है।

3. निम्न आण्टर :-

3.1 द्वितीय पत्र द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है विसका संचालन प्रबन्धाध्यापक सदा अधिकार के हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के प्रबन्ध से संपर्क करती जायेगी।

3.2 प्रबन्ध पत्र द्वारा निर्गत कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप से निर्गत किया जायेगा :-

अधिकारिक रूपस्थ एवं अन्य संकेत	संचालन
(प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	(प्राक्कलित लागत का % के रूप में)

1. ग्राम लिंग	75%	75%
---------------	-----	-----

2. शहरी लिंग	25%	25%
--------------	-----	-----

3.3 प्रत्येक चरण का भूगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खार्च का अंश (S.O.E.) और मापी पुस्तिका (M.B.) में जो कम होगा उसे जगते हुए पिछली निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्ण में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खार्च कर दिया गया है, प्रबन्ध पत्र द्वारा अगले चरण की राशि निर्दित की जायेगी।

4. खातव का संधारण:- द्वितीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये मुक्तान के खाते का अलग बोक्स स्टेमा वह व्यौत्त प्रक्रम पक्ष के या अन्य दस्तों के समान के समय जो इह कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होता।
  
- 4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अध्येता जो आवायक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खात जापा करने का अधिकार होगा।
  
5. कार्य पूरा करने की ध्यान:-

इन एकरात्रनामा की तिथि से ..... (भृहिना, सप्तमाह / दिन) से कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कठिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

- 6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित भागदर्शन एवं पर्यावरण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जॉन करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित छनण करेंगे और लिङ्गित भागदर्शन भी देंगे।
  
- 6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवतों की एक प्रतियोगी प्रारूप और भागदर्शन देगा।
  
- 6.3 जिसा दौरीड़ना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर समिति कर्नीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्नीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यांक और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उत्सेच्च करेंगे जो समिति के समित द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त सम से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।
  
- 6.4 एकरात्रनामा में सहस्रेषित किये गये किसी भी सतों की आवहेतना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होता कि वह निर्माण को दौरीम किसी भी स्तर पर कार्य को एक दा स्वामित कर सकता है और गुप्तान किये गये राति को पुनः कापस करने की मान कर सकता है।

#### 7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

# सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

## एकरारनामा प्रपत्र

प्रति कालीन वर्ष के लिए इस संस्थान के लिए लागत का जारी करने वाली एक वित्तीय संस्था



1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रथम संसाधन केन्द्र विभागीयक ..... (जो इसके बाद प्रथम पत्र के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... युवा विद्यालय औरंगाबाद ..... जिला युवा विद्यालय ..... (जो इसके बाद द्वितीय पत्र के नाम से संबोधित होंगे) के बीच ..... विभागीय कार्य (कार्य के नीम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित रूपी पर एकरारनामा बनाया जाता है।
  
2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) ..... (रुपयों में ..... ) है।
  
3. निधि आवंटन :-
  
- 3.1 द्वितीय पत्र द्वारा समिति के नाम से जौ खाता खोला गया है जिसका संधारन प्रशासनाध्यापक तथा संधिक के हस्ताक्षर से हो रहा है उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रदान के समय से उपलब्ध करायी जायेगी।
  
- 3.2 प्रथम पत्र द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्णय किया जायेगा -

अंतिरिक्त कमरा एवं अधिक स्कॉर्प

(प्राक्कलित लागत का % के रूप में)

शैक्षालय

(प्राक्कलित लागत का % के रूप में)

1. प्रथम किस्त

75%

75%

2. अंतिम किरण

25%

25%

- 3.3 प्रथम करन के बूँदान सिलाकार निवा समिति द्वारा दिये गये खर्च का. बी. (S.O.B.) और नापी पुस्तिक (M.B.) से जो कमाहोना जौ नापी हुए पिछली निर्वत ताहि कर कर से कम 15% अतिक्रम और इसके पूर्व में निर्वत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। प्रथम पत्र द्वारा अगले करन की राशि निर्वत की जायेगी।

— प्रोफेसर शह शाहउद्दीन की रुप उपर्युक्ती —

जिला शिक्षा अधीक्षक और गोपनीय  
(बिहार)

विषय :- भिन्नीय अधिकार के सम्बन्ध में  
सहाय्य,

सवित्रिय निवेदन इस प्रकार है कि  
प्राचीनिक विद्यालय छात्रा छिक्का, पैकी (महानपुर)  
को सर्वशिक्षा अभियान के ओनरर्ड पुष्टम  
किस्त के रूप में 119925/- (रु९९ लाख  
तीन सौ छात्रा रुपये) भिलौ थे  
जिसमें एक कमरा और बरामदा की हड्डाएँ  
का कार्य दूर्ज रूप से काढ़ा है तथा है,  
उपरोक्त राशि में से 118900 रुपये (रु८९  
ही जाहा है भिलौ रुपये भाग) रक्तर्दि  
भारत आडारह हजार भी रुपये भाग) रक्तर्दि  
ही जाहा है जिसका आपि पुस्तिका रुप ३५८८८/-

है कि विनीय किस्त को शिक्षा प्रमुख कर्त्ता  
की कापा करे, ताकि विद्यालय का आन्य कार्य  
विठ्ठला से किया जी सके।

द. श. अधीक्षक गोपनीय  
गोपनीय विद्यालय का रुपये रुपये  
श. विद्यालय का रुपये रुपये  
भाग गोपनीय विद्यालय का रुपये रुपये

विनीय उमार  
गोपनीय  
महानपुर भाग

३५०

जिल्हा विभाग उपरीक्षा मनोदेश  
ओडियारा (निहार)

**विषय** — इस प्रकाशित कागजपत्र को देखने के लिए अपर्याप्त समय नहीं है तो कैसे कम से कम इस प्रकाशित कागजपत्र के लिए विभिन्न विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवायी जाएगी।

पिहालेव के अवन के नियमित का  
आय रघ्य का रघोव राख है, इस पर श्रीमान ने आपनी  
सहमति देखत की है। इस अवन की प्राकृतिक राख  
1,59,000 (एक लाख तूसठे रुपाएँ) है। दियांग रो कमरा दियांग  
1,19,925-00 रुपाएँ 24,000 रुपाएँ

અને કરી દેં

କୁଳ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତିମ ଶାସନ ପାଇଁ ହେଲାମୁଣ୍ଡିଲୁଙ୍କ ହେଲାମୁଣ୍ଡିଲୁଙ୍କ ।

आपका नियमी  
दृष्टि और प्रभाव  
पुराण विषय  
एवं प्राचीन साहित्य।

18-09-06

۱۸-۰۹-۲۰

କୁଳପତ୍ର

दिल्ली वा दिल्ली नाम  
के अन्तर्गत एक ज़िला है।

Digitized by Google

卷之三

१९७३-८०  
५०४१८-१९-८०

३२५

कार्यालय जिला शिक्षा  
विद्यालय शिक्षा

**सदस्य :**

- १ विद्यालय अधिकारी
- २ विद्यालय अधिकारी
- ३ विद्यालय अधिकारी
- ४ विद्यालय अधिकारी
- ५ मोला चंद्री

दिनांक १९.०९.२००६

- ६ प्रियंका चंद्री
- ७ विद्यालय अधिकारी
- ८ प्रियंका चंद्री
- ९ प्रियंका चंद्री
- १०

कार्यालय विद्यालय के विद्यार्थी और अधिकारी  
प्रियंका चंद्री को इन सभी विद्यालय के विद्यार्थी और अधिकारी  
में से एक ही विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है। इस  
प्रियंका चंद्री को विद्यालय के विद्यार्थी और अधिकारी  
में से एक ही विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।

विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।

विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।

विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।

विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।  
विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी के अवतार ही बताया गया है।

महोरमा देवी  
सचिव १४.०९.०६

श्री देवी ०६  
१४.०९.०६  
अध्यक्ष  
जबलपुर

TICKET NO. - 113924 D.

DATE 13/12/2010

TIME 11:30 AM

अधीक्षक, औरंगाबाद  
समिति पंजी

दृष्टिपत्र	टिकेट	दर	वृत्तिपत्र
प्राप्ति	13121	८०	वृत्तिपत्र
प्राप्ति	13122	८०	वृत्तिपत्र
प्राप्ति	13123	८०	वृत्तिपत्र
१३. राजेन्द्र शर्मा ठोड़ा प्रदेशी मेरे लिए } ।	13124	३००.०० = ९००.००	
(१) डॉर	13125	१५००.०० = १५००.००	
(२) डॉ लिंग विलास कुमार	13126	३००.०० = ३००.००	
(३) डॉ	13127	२१५०.०० = २१५०.००	
(४) श्रीमा	13128	२३.८० = २३.८०	
(५) लाल	13129	३६.०० = ३६.००	
(६) शिल्पी	13130	११७२.०० = ११७२.००	
(७) डॉ. शिल्पी शर्मा ठोड़ा मेरे लिए लिए } ।	13131	१९००.०० = १९००.००	
१४. छोटा	13132	५०.०० = ५००.००	
१५. फर्मेंट कलिया, लैनिंग असिया लैनिंग एसेंसी	13133	२३००.०० = २३००.००	
१६. एंट्रेंस लिंग विलास कुमार	13134	१००.०० = १००.००	
१७. लौहा के लिंग + राम - ३४०१३ -	13135	३५.०० = ११५.५०	
१८. लौहा राम विलास कुमार - १००१५	13136	३००.०० = ३००.००	
१९. सार्वजनिक रामल + लौहा गांधी -	13137	१०५०.०० = १०५०.००	
२०. Supervision charges - युवराज शर्मा	13138	३६००.०० = ३६००.००	
२१. डॉ. राम	13139	१५७७५६.००	

१६७३३५.५०  
(२३ लाख २१ रुपये रुपये में लिखा है  
लाख दो रुपये में लिखा है)

आश्चर्य लाल एवं शर्मा ठोड़ा लिए गए  
लाल ने इसी रामल के लिए रामल में आश्चर्य  
लाल के लिए लाल एवं शर्मा ठोड़ा के लिए लाल

पद्मनाभ शर्मा  
पद्मनाभ शर्मा

सर्व शिक्षा अगेन्ट, ३१८-४६५।

ਖੰਬਾ ਪਾਇ ਰਾਹੋ ॥੧੦॥

and the first and second stages

On the other hand, although the  $\alpha$ -helix is the most common conformation of proteins, it is not the only one.

— କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

• १२० विषयात्मक नियम सुनिश्चित हो तिक्ते लक्षणात् अवृत्त विषयात्

四庫全書

- 115 -

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

787

पुल योग :-

१०८७६८ राजी अविक्षय एवं ग्राहक लैल गार्ड काइसर ने सम्मानित है।  
 १०८७६९ राजी अविक्षय लैल गार्ड काइसर ने सम्मानित है।  
 १०८७७० राजी अविक्षय लैल गार्ड काइसर ने सम्मानित है।

卷之三

37

सर्व शिक्षा अनेकान् आरोग्याद् ।

#### End of page 10

Fig. 1. The 1954-1964 period.

THE JEWISH STATE IN 1919

१८७ - दिल्ली के अधिकारी विजयलक्ष्मी ने इस बात का आवाहन किया है।

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

• 20.21.4.4

— 1 —

- 1 -

— 1 —

— 7 —

— — — — —

1400

11

四庫全書

四庫全書

3<sup>rd</sup> 2<sup>nd</sup>  
4<sup>th</sup> 2<sup>nd</sup>  
6<sup>th</sup> 4<sup>th</sup>

九

561

110

क्रमांक	दिनांक	पर्याप्ति का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अग्रिमत्रय संख्या	पात्रा	वर्ष	फुल राशि
22	10-3-55	57 लो. अपूर्ति	T.N. अपूर्ति	10	2000kg	1300/-	600/-
23	11-3-55	सेवा	कृष्ण अपूर्ति	11	9,000kg	40/-	360/-
24	22-3-55	रो	महाराजा अपूर्ति	12	355kg	215/-	1032/-
25	22-3-55	शैव	"	13	90kg	23/-	232/-
26	22-3-55	रिहाई	"	14	95kg	142/-	1136/-
27	22-3-55	रुद्र गोपी अपूर्ति	निर्मला अपूर्ति	15	20,000kg	30/-	600/-
28	06-4-55	रो	कृष्ण अपूर्ति	16	2000kg	1500/-	3000/-
29	06-4-55	कुमार अपूर्ति	निर्मला अपूर्ति	17	2000kg	300/-	600/-
30	06-4-55	कर्तृपीठ अपूर्ति	निर्मला अपूर्ति	18	3000kg	1500/-	4500/-
31	06-4-55	कर्तृपीठ अपूर्ति	निर्मला अपूर्ति	19	3000kg	300/-	900/-
32	06-4-55	सेवा	चंद्रलोक अपूर्ति	20	3000kg	85/-	2550/-
33	06-4-55	सेवा	कृष्ण अपूर्ति	21	05kg	60/-	300/-
34	06-4-55	सेवा	कृष्ण अपूर्ति	22	05kg	142/-	10392/-
35	02-5-55	रो	"	23	350kg	2150/-	7525/-
36	02-5-55	रो	"	24	10kg	36/-	360/-
37	02-5-55	कुमार अपूर्ति	निर्मला अपूर्ति	25	10kg	300/-	3000/-
38	30-5-55	रो	कृष्ण अपूर्ति	26	35kg	142/-	4970/-
39	30-5-55	रो	कृष्ण अपूर्ति	27	100kg	63/-	300/-
40	30-5-55	कुमार अपूर्ति	निर्मला अपूर्ति	28	100kg	300/-	300/-

उत्तमोत्तम विद्या इसी है । । । जनी अविभक्त एवं भास्तर सैल गाड़ काईल ये सम्पादित ।

२. गोपी गुप्त नाम का होने वाला रघुराज, लोवर एडिशन रघुराज, साईट ब्रुक संभारित कर लिया गया है।

उपरोक्त विषय के अनुसार यह देश आज भी अपनी स्वतंत्रता के लिया गया है। इसी स्वतंत्रता के लिया गया है।

• गणी अंगूष्ठ 12 से ऊपर व्यासाध्यावयव के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता महोने पर देखा जा सकता है।

ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ କାନ୍ଦିଲ  
ମହାଶୁଷ୍ଣାନୀ  
ପରିବାରକାରୀ  
ପାନକୁ, ଆରାମାନନ୍ଦ ପାତ୍ର

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Page 2

Page 2

SERIAL 15-0911  
No Rio Verde

४१

39

१०३७८ अभियान औरंगाबाद।	१०३८५	२५ वर्ष
लोटी गव्हर्नर का विवरण	१०३८६	२५ वर्ष

Date	Description	Debit		Credit	
		Amount	Rate	Amount	Rate
09-07-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	01	3000/-	300.00	2400.00
10-07-05	150/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	02	200/-	1500.00	3000.00
11-07-05	60/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	03	240/-	2150.00	5805.00
01-08-05	250/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	04	78K3	23.00	2262.00
02-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	05	48K3	142.00	568.00
03-08-05	250/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	06	48K3	300.00	300.00
04-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	07	100C PT	800.00	800.00
05-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	08	36K3	142.00	5112.00
06-08-05	250/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	09	36K3	300.00	300.00
07-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	10	3000/-	1500.00	4500.00
08-08-05	250/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	11	100C PT	300.00	900.00
09-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	12	4000/-	1500.00	6000.00
10-08-05	250/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	13	4000/-	300.00	1200.00
11-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	14	36K3	142.00	4260.00
12-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	15	208K3	2150.00	4472.00
13-08-05	250/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	16	45K3	23.00	1355.00
14-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	17	148K3	300.00	300.00
15-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	18	3000/-	900.00	2400.00
16-08-05	100/-				
	Chennai - Madras				
	TN - AR10, 130/-	19	12000/-	1,000.00	3000.00

THE TROPICAL

સ્વેચ્છા ફો

ਤਿੰਸਾ ਤਿੰਸਾ ਅਵੀਚਕ ਮਹੋਦਯ  
ਓਈਗਾਟ (ਲਿਹਾਰ )

**प्रिया** :- इष्टिकाल। अंगाराएँ भौतिकाल। ते जन्मानि रात  
भूमध्य लगावट। अंगार के निर्गति कर्त्तव्य होने के  
कारण अंगार उद्गारा-निर्गति कर्त्तव्य में।

五五三四

विद्यालय शिक्षा वर्गाते, २१७-२१८ विद्यालय शिक्षा विभाग  
द्वारा दिखायुर को और से निरीदन करते हुए कहा है कि अधिक  
आधिकारिक अधिकारियों के आवश्यक विद्यालय के नाम तो उक  
ल्लरा रखता रखता रखता उसी नियमित प्रक्रिया से परिवर्त्या  
कर दी प्रार्थना करता है । इसके के अधिकारी जी  
इसकी उपलब्धता को जीता कर ली है । कार्य प्राकृतिक के अनुसार  
हुआ है । इसपर दख्ती ने राजभूमि डाला है । कार्य के किसी  
पुकार की जड़ी नहीं याकें जाके

पिकान्सा के अपने लैंगिकी का  
अर्थात् रक्षा को देखें। यहाँ पर शिवोंने कापनी  
शहमति देखना की है। इस अपने वी प्राकृतिक राशि  
159000 (सुखलारप उन्माद रक्तार) है। जिसमें से शिव

ਸਾਡਾ ਦੀ ਕਿਰਾਈ ਮੇਂ ਕਮਤ੍ਰੀ 119.925-00 ਰੁਪਏ 24,000/-  
ਲੋਧੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପଦ୍ଧତି

है कि शैष अंतिम शर्तों का अनुसारी विवरण करके उनमें ज्ञानको बांधो आवश्यक रहता है।

ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଠ୍ୟକାରୀ

कांगड़ा त्रिभोवं  
पुष्टन किल्ले

ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରକାଶନ କୌଣସିକୁ  
ଫିଲେମ୍

Folio - 18.09.06

卷之三

१८-९७-१८

महाराष्ट्र विद्यालयाचा अध्यक्ष  
पीट, पुणे गुरु (वैदिक) १३

ପ୍ରକାଶ ପତ୍ର  
ପ୍ରକାଶନ (ଅ) ୧୯୫୭

Digitized by srujanika@gmail.com

दिवाली दिन मन्त्रियों  
द्वारा दिन द्वारा दिवाली  
दिवाली दिवाली



संचय अधिकारी, बोर्डर

**Schedule XLV-Form No. 134**

पा. नं. ४१८८०७५  
(मुद्रा) Rs 159 900.0

**DIVISION**

एक अतिरिक्त कमरा विमीण्ण

**SUB-DIVISION**


**Measurement Book**

**સાંક્રાન્તિક ગુપ્તાનામણી કેવળ**  
**Sch. XLV—Form No. 134**

प्रा० प्रा० बांसुरी विधान + DIVISION  
क्षेत्र ८५ - मदनपुर SUB-DIVISION  
एकान्तिरिक्त कमरा नियोग देख  
कुल प्राप्त कलिकाली -  
159 900/-

# MEASUREMENT BOOK

प्रभागित चिया जाग १२ वि  
No. १११  
दुस माप पुरत में 100 [इयी]  
पुरत ३१



**Date of first entry**

**Date of last entry**

No. १२५ रुपये  
में 100 [एक सौ]  
  
9  
16000000  
9329106  
गोपनीय  
12-1-2012

~~2019-2020~~ 2020-2021  
23.09.05 2020-2021

Name to work—  
 Situation of work—  
 Agency by which work is executed—  
 Date of measurement—  
 No and date of agreement.  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

1

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	I.	L.	B.	D.	
1st on A.R. B.I.U.					
Name of work - Construction of A.R. one Room 3 verandah at P. S. Baga bigha Block madrassah Dist. Alwarange bad					
Agency - V.S S. Baga bigha					
1- Site clearance					
2 men labour $\text{Rs } 8/\text{day}$					$1.38\text{.00}$
2- Making 10" deep base below ground level.					

-- call comp. job

21 m x 11' 6" =	241' 6"	
01 Max 15' 11" =	15' 11"	
	257' 5"	
= 78.48 m $\square$	30.85 / m <sup>2</sup>	
	— Rs —	2421.00
3- making 63 cm deep under room at Required depth 6 in ordinary soil 2.5 m <sup>3</sup>		
32% each —	Rs 818.00	

4- Providing R.C.	
M15 (1:2:4) in tile	
$21 \frac{1}{4} (0.25)^2 \times 2.5 \text{ m} = 3.6 \text{ m}^3$	
$1 \times \frac{1}{4} (0.25)^2 \times 4 = 85 \text{ m}^3$	
	= 0.24 m <sup>3</sup>

Extra for room	
2.5 x 0.5 m <sup>3</sup>	= 1.48 m <sup>3</sup>
Total	= 5.33 m <sup>3</sup>
	3377

Continuation

$$2.5 \times 0.5 \text{ m}^3 = 1.48 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 5.33 \text{ m}^3$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
5 - 33 m <sup>3</sup> @ 12.829/m <sup>3</sup>				0.95	3377
-					Rs. 10820/-
5 - Providing sand filling below G.T. road beam					
(118' 5 1/2" + 22' 10") X 18" X 3"					
= 20' 9" 7 5/8 ft.					
= 0.59 m <sup>3</sup> @ 93.80/m <sup>3</sup>					
				--	Rs. 55.00
6 - Providing 150/t Bricks flat - Salting below G.T. road beam					
(118' 5 1/2" - 22' X 10") X 18" X 6 1/3"					
= 83' 17 1/2 ft.					
= 0.54 m <sup>3</sup> @ 83.50/m <sup>3</sup>					

	-83' 17 1/2 ft.			
7.73 m <sup>2</sup> @ 73.40/m <sup>2</sup>				
				Rs. 567.00
7 - Providing Re-e M150 (1 : 2 : 4) G.T. road beam				
118' 5 1/2" X 10" X 8"				
= 64' 8 9/16 ft.				
= 1.81 m <sup>3</sup> @ 238.40/m <sup>3</sup>				
				Rs. 4387.00
8 - Providing Bricks in m.m. (1:6) in Plinth all comp of brick - -				
118' 5 1/2" X 10" X 1' 3"				
= 122' 9 1/2 ft.				
Deduction required				

Continuation

19206/

## Sch. SLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Piller	col	10m	1m	1.82	BF - 19206
$3 \times 1'3'' \times 7'1/4 \times 10'82/2$					
					$= 9 \cdot 03 \text{ sq ft}$
Net work					$= 12 \cdot 0 \cdot 8 \text{ m}^2$
$\approx 3 \cdot 43 \text{ m}^3 @ R_s 1253 \text{ ₹}/\text{m}^3$					$4298$
					$R_s - 4298$
9 - providing 2.5 mm					
D.P.C. in efficient					
Concrete (1:2:4)					
$118'51/2'' \times 10'' = 98 \cdot 32 \text{ sq ft}$					
$\approx 9 \cdot 14 \text{ m}^2 @ R_s 6505/\text{m}^2$					$59400$
10 - providing 1.0 mm					
Rein in L-m (1:6) for					
Super Structure - 2 m					

compleat job:

$118'51/2'' \times 10'' \times 10'82/2$			
$= 98 \cdot 7 \cdot 14 \text{ sq ft}$			
Gutter brick -			
$5 - 1 \times 4' \times 7'1 \times 6'10/2 = 23 \cdot 04 \text{ sq ft}$			
$W - 3 \times 4' \times 5'0'' \times 10'10/2 = 50 \cdot 0 \text{ sq ft}$			
Recessed opening			
$28'10'' \times 10'' \times 10'10/2 = 234 \cdot 2 \text{ sq ft}$			
Linking			
$4 \times 5' \times 10'' \times 6'' = 8 \cdot 0 \text{ sq ft}$			
Linking round			
$(8'9'' - 90'0'') \times 10'20''$			
$\times 10'3'' = 14 \cdot 45 \text{ sq ft}$			
$385 \cdot 18 \text{ sq ft}$			
$(B)$			

Continuation

Rs. 24098

## Sch. SLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Net quantity	5			BF-	24098
987.1	4	~	33.5	28	
			= 6.51	8 6 8 ft	
	= 18.5	5 m <sup>3</sup>	Rs.		
1285	0.45/m <sup>3</sup>	--	Rs	23845.09	

11 - Providing R.c.c.

(1:2:4) limited bonded

(89' 7 1/2" - 20') x 10" x 3"

= 014.49 cft.

= 0.41 m<sup>3</sup> @ Rs.2392 - 30/m<sup>3</sup> - Rs 981.09

12 - Providing M15

(1:2:4) in Limited

4 x 5 1/8" x 10" x 0'6" = 8 - 30 cft

limited in verandah

29' 8" x 0'10" x 0'6" = 12.8148 -

20 x 6148 -

= 0.58 m<sup>3</sup> @ Rs 2882.35/-

Rs - 1671.76

13 - Providing R.c.e.

M15 (1:2:4) in cat. ---

in complete job: -

3 x 21' 0" x 7 1/4" (0.883)<sup>2</sup>

= 17.85 p.f.

20.51 m<sup>3</sup> @ 2489.09/m<sup>3</sup> = Rs 1269.09

14 - Providing Ree

M15 (1:2:4) in bed block

5 x 2 1/4" x 10" x 8" = 60.38 cft

= 0.418 m<sup>3</sup> @ 2392.034/m<sup>3</sup>

-- Rs 431.49

Continuation

5929.583

Sch. SLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
15 - Pm & rftaking Rec					5229888
63mm phr EK (1:2:4) in					
chipping - - - - -					
$3 \times 5' 0'' \times 1' 6'' = 29.5 \text{ sq ft}$					
$= 2.09 \text{ m}^2 @ \text{ Rs } 33.64 \cdot 40/\text{m}^2$					
					Rs 762.00
16 - Pm & rftaking Rec (1:2:4) in Rock -					
$3 \times 10' 3'' \times 2' 0'' \times 2\frac{1}{2}'$					
$= 19.81 \text{ ft.}$					
$\approx 0.36 \text{ m}^3$					
$@ 29.45 \cdot 15 \text{ m}^3 - \text{ Rs } 1060.00$					
17 - pm & rftaking course					
Sinking in Plinth-Rres					

class free

$$8 \times \frac{1}{2} \times 11' \times 9' = 396 \text{ sq ft}$$

$$121' 6" \times 910 = 13^{\circ} 50' 6"$$

Versandt

$$\left( 3' 11\frac{1}{2}'' + 15' 6\frac{1}{2}'' \right) - 64 = 77\frac{3}{4}''$$

$$15'0\frac{1}{2}'' \times 3'\alpha = 46.635\text{ft}$$

$$7'10'' + 15'6\frac{1}{2}'' \times 4'0'' = 44'70\frac{1}{2}''$$

2

Total 567 - 548 ft.

$$\underline{587.648} \times 1'164 = 10\ 40\cdot 67$$

$$= 29.448 \text{ m}^3 @ 1993.89 \text{ m}^3$$

R3-2764

## Continuation

56881-85

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
18 - Providing R.C.				BF	56881.85
M15 mix in filter					
Reinforced slab					
$8' \times \frac{1}{2} \times 9'9'' \times 11' 10''$					
					$= 461.37 \text{ sq ft}$
Reinforced					
$9'9'' \times 1'6'' = 14.63 \text{ "}$					
V/R -					
$3'18'' \times 1'2\frac{1}{2}''$					$\times 7'6\frac{1}{2}''$
2					$= 79.11 \text{ sq ft}$
$17'2\frac{1}{2}'' \times 3'8'' = 51.53 \text{ sq ft}$					
$8'8'' + 17'2\frac{1}{2}'' \times 4'10''$					
2					$= 12.68 \text{ sq ft}$
					$669.22 \text{ sq ft}$
$= 62.195 \text{ m}^2$					$\oplus 388.89 \text{ m}^2$

					Rs - 93809.40
19 - Providing outlet					
Proof cemented plaster					
(1:3) as per L letter No 18					
$6.219 \text{ m}^2 @ \text{Rs } 51.86/\text{m}^2 \text{ Rs } 3221.40$					
9x1 - providing R.E.					
M15 Reinf beam 1in side					
Length					
$17'2\frac{1}{2}'' \times 10'' \times 10'' = 11.88 \text{ cu ft}$					
$2 \times 8'' \times 10'' \times 0.6'' = 12.70 \text{ cu ft}$					
$2 \times 23'8'' \times 10'' \times 13\frac{1}{2}'' = 64.19 \text{ cu ft}$					
					$68.35 \text{ cu ft}$
$= 1.94 \text{ m}^3$					$\oplus 3401.30/\text{m}^3$
					$= \text{Rs } 659.94$
					/
Continuation					$\text{Rs } 90510.85$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(2) Piling					BF. 90510.85
Reinforcement:-					
(2) Pile 10 mm dia					
4 Nos. x 2.1 x 14' 0" = 117.6 ft.					
4 nos 11 x 17' = 68 ft.					
					1244 ft.
= 379.26 m @ 0.62 kg/m					
					= 235 kg.
Ring - 6 m dia					
21 Nos. x 2.2 x $\frac{3.0}{12}$ = 115.5 ft.					
1 x 2.5 m x $\frac{3.0}{12}$ = 6.25 ft.					121.75 ft.
= 371.2 m @ 0.22 kg/m					
					= 82 kg.

(ii)	Girder	Beam:-	
girder dia			
118' 5 1/2" x 6.72 kg = 710.5 ft.			
= 216.6 m @ 0.395 kg/m			
			= 86 kg.
6 mm dia	178 Nos. x 2' 0"		
			= 356 ft.
= 108.3 m @ 0.221 kg/m			
			= 24 kg.
(iii)	linkend band		
8 mm dia			
0.89' x 2 Nos. = 17.8 ft.			
= 54.25 m @ 0.95 kg/m			
			= 51 kg.
6 mm dia	178 x 9" = 134 ft.		
= 40.7 m @ 0.221 kg/m			
			= 9 kg.
	Continuation		
			90.510.85

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
(iv) linked on D/W					90510.85
8 mm thickness					
4 m x 3 x 4 m x 5' = 80 ft.					
24 x 3 m $\otimes$ 0.395 kg/m					
				= 10 kg.	
V/R					
24' 8" x 4 m = 118.66 ft.					
= 36.2 m $\otimes$ 0.395 kg/m					
				= 14 kg.	
6 mm thickness D/W, V/R					
60 m x 2' 4" = 120 ft.					
= 36.58 m $\otimes$ 0.229 kg/m					
				= 8 kg.	
(v) Chhajja 8 mm thickness					
3 x 12 m x 2' 4" = 84 ft.					

3 x 4 m x 3 x 5' 0" = 60 ft.			
		144 ft.	
4.4 m $\otimes$ 0.395 kg/m			
		= 17 kg.	
(vi) R/Gek 8 mm thickness			
3 x 4 m x 3 x 10' 0" = 120 ft.			
3 x 21 m x 2' 4" = 144 ft.			
		288 ft.	
81.33 m $\otimes$ 0.395 kg/m			
		= 32 kg.	
(vii) V/R column 12 mm thickness			
3 x 6 m x 12' 0" = 216 ft.			
6.585 m $\otimes$ 0.888 kg/m			
		= 58 kg.	
6 mm thickness 3 x 25 x 2' = 150 ft.			
= 15.24 m $\otimes$ 0.229 kg = 4 kg.			
Continuation			90510.85

Sch. SLV—Form No. 134

(Ver. beam on pillar)

$$6 \text{ ft} \times 9 \text{ ft} = 54 \text{ sq ft}$$

36.15 kg 1.58 kg/m

$$= 57 \text{ kg}$$

~~Ring gmitt~~

Rain

$$2 \times 47 \text{ m} \times 3'10'' = 344.33 \text{ ft.}$$

$$\sqrt{4\pi - 1} \times 3.5 \times 3.6^{\circ} = 10.5 \cdot 37$$

$$\text{Var } \bar{X} = 1 \times 6 \times \frac{2}{9}(6) = 1,5 \text{ s.d.}$$

635 · C25 24

~~187.5 m~~ @ 0.395

$$\text{kg/m} = 14 \text{ kg}$$

(ix) Bed Block & stamp

$$5 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m} = 10 \text{ m}^2$$

$$6 \text{ mm}^2 \times 5 \times 2 \times 10^{11} = 600.$$

Continuation

$$= 15.24 \text{ kg/m} = \underline{\underline{27 \text{ kg/m}}}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
11 cm	(5)	1 m	1 x	6 ft	40.510.85
Total Reinforcement					
10.0 kg	kg	@ 93.512.88/m			Rs 235.59.9
		--		Rs	217.49.2
					114.070.70
Less for cast of cement					
15.6 kg @ 143 / bag (-)					223.08
Less for cast of					
Steel 10.02 kg = 1.002 m					
	(-)	--	Rs		235.59.9
Less for C: P(9.093)					
	(-)		Rs		61.99.63
				Rs	619.63.22

Add cost of cement				
(+)			Rs	223.08.4
Add cost of steel (+)			Rs	235.59.92
Total -			Rs	1078.71.42
Add charge of				
material				
1) Bricks 9500 Nos.				
(Lead 7Km) @ Rs				
268.87 / thousand -			Rs	2554.26
2) Chisels 570 cft				
= 16.14 cum (Lead 10 km)				
@ 122.09 / cum -			Rs	1979.53
(222) Cement - 156 bags				
(Lead 15 km) 7.8 mt @				
103.7 / mt Continuation			Rs	809.84
			Rs	1132.04.7

## **Continuation**

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Final Bill					
Name of work —					
Constructors of A.C.R.					
one room and verandah					
at P.S. Bazaar					
Block - 1 m x 1 m x 1 m					
Dist - 1 m x 1 m x 1 m					
Agency - R.S.S - P.S.					
Bazaar - 2 m x 1 m x 1 m					
P.S. Bazaar					
(2) — Profiling					
12 mm thick cement					
plaster (1:6) in cm.					
Cutting during 1.5 m					

Cement finishing			
up to plinth —			
out side wall			
$10 \text{ g} \times 10 \text{ ft} \times 2 = 20 \text{ g} \cdot 66 \text{ sq ft}$			
Skirting —			
$93 \text{ ft} \times 6 \text{ "} = 564 \text{ ft}^2$			
$26.6 \cdot 0.8 \text{ sq ft}$			
$= 24.77 \text{ m}^2 \times 14.51 \text{ kg/m}^2$			
$- - - - - \text{ Rs } 1284.40$			
(2) — Profiling 12			
mm thick cement —			
plaster (1:6) inner —			
Side of wall —			
class rooms —			
$8 \times 9 \text{ ft} \times 10 \text{ ft} = 720 \text{ sq ft}$			
$2 \times 1.6 \text{ "} \times 10 \text{ ft} = 32 \text{ sq ft}$			
Continuation Rs 1284.40			

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area.
	No.	L.	B.	D.	
Circum. 2' 6" m 10' 0" (21)				BF -	19.84 m <sup>2</sup>
Vern. slak:					
2 x 9' 0" x 10' 0" = 180.00 sq ft					
3 x 10					
3' 10" x 10' 0" = 38.30 sq ft					
Pillar					
3 x 7 x 10" x 9' 6" = 74.34					
Vern. l. int'l					
28' 10" x 1' 10" = 52.76 sq ft					
Beam:					
B <sub>1</sub> - 28' 0" x 1' 10" = 52.76					
B <sub>2</sub> - 15' 6" 1/2" x 2' 6" = 38.85					
B - 2 x 9' 0" x 3' 1" = 135.52					

Rock				
3 x 9' 4" x 3' 2 1/2" = 86.67 sq ft				
				1409.14 sq ft
Deductin				
D - 1 x 4' x 7' = 28.00 sq ft				
skirting - as per item				
M.D. - ② - 46.91				
children chalk board				
6 x 9' 6" x 1' 6" = 81.00				
				155.92 sq ft
Net quantity				
(1409.14 - 155.92)				
= 1253.22 sq ft				
= 116.47 m <sup>2</sup> @ Rs 37.83 / m <sup>2</sup>				
				Rs 4406.01

Continuation : Rs 5690.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area.
	No.	L.	B.	D.	
				BR	5690.0
(23) — Provisioning ration 100 ft brick flat Solding as per item Cement clean sand filling. Quantity — 567.64 sqft. = 59.75 m <sup>2</sup>					
@ Rs. 73.40/m <sup>2</sup> —					Rs. 3872.00
(24) — Provisioning 150 mm thick dry rammed latera brakly to 112 mm thick. as per item no — (23)					
59.75 m <sup>2</sup> @ Rs. 73.54					Rs. 4333.00

(25) — Provisioning 25mm thick I.P.S. fluming as per item no (23) (Brick flat - Solding) Quantity — 59.75 m <sup>2</sup> @ Rs 82.15/m <sup>2</sup> —					
59.75 m <sup>2</sup> @ Rs. 82.15/m <sup>2</sup> —					Rs. 4333.00
(26) — S.I.F.F.M.S. 4x4 x 20x6 mm m <sup>2</sup> m.s. flat in window 3x4x5 = 60 cm sqft					
11.5 kg / sqft = 90.0 kg.					
24.4 kg / kg = --					
					Rs. 2160.00

Continuation

Rs. 19934.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area.
	No.	L.	B.	D.	
				BF	19934
(27) - S1 P/F of 16 gauge C.R. Sheet in door and win- dow					
$W = 3 \times 4' \times 5' = 60 \text{ sq ft}$					
$D = 1 \times 4' \times 7' = 28 \text{ sq ft}$					
$= 8.18 \text{ m}^2$					
@ Rs 984.85 /m <sup>2</sup>					
- - - - -					Rs 8049.0
(28) — Providing 16 mm dia fan heads					
$1 \times 3 = 3 \text{ nos.}$					
@ Rs 35.85 /nos. - Rs 108.45					

## ②9) - Providing

three early April

washing inner wall

esperztem No. (2)

218 (inner side wall)

## Quantity

$$116 - 4 \boxed{7} \cancel{2} + 62 = 18$$

$$= 178.66 \text{ m}^2$$

$$\textcircled{4} \quad P_{0.4} \cdot 25 \text{ J/m}^2 = -B \quad 757 \cdot$$

### (38) - Providing.

First County of Seward

copy over a copy

of writing - wash.

## **Continuation**

PS 28848

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Gant	91	10' 10"	10' 0"	(32)	BF 98848
8 x 9' 9" x 10' 0"					
				= 780 m <sup>2</sup>	
3 x 10'				= 30 m <sup>2</sup>	
				-	
				810 m <sup>2</sup>	
				530 m <sup>2</sup>	
Deduction —					
Window —					
3 x 4' x 5' = 60 m <sup>2</sup> Sft					
Net quantity —					
810 - 60 = 750 Sft					
269.70 m <sup>2</sup>					
④ Rs 4.35 / m <sup>2</sup> ---					
				- - +	Rs 518.0

(31) — Painting

Red ochre primer  
on steel works

Gant —

$$3 \times 4 \times 5' 0" = 60 \text{ m}^2$$

Shutter —

$$2 \times 8' 0" = 17.6 \text{ m}^2 \text{ Sft}$$

$$23.6 \text{ m}^2 \text{ Sft}$$

$$\approx 21.93 \text{ m}^2$$

$$② Rs 1.5 \text{ / m}^2$$

$$- - + \text{ Rs } 34.9 \text{ m}^2$$

(32) — Painting

two coats of enamel

Painting ready

with

Continuation

Rs 29709.6

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	29709.0
earth - stone m 10.30.					
as per drawing	ND (31)				
Ornament - 2 1.93 m <sup>2</sup>					
(@ Rs 95/m <sup>2</sup> )					
				RJ	560.00
(33) - Provisioning					
two coats - measured					
black / Green board					
children chalk board					
(1'6" height - above					
6" sleeping)					
6x9' x 1' 6" = 81.00					
2 x 8 x 1' = 64.00					
					145.00

$$= 13.67 \text{ m}^2$$

(@ Rs 95/m<sup>2</sup>) -- RJ 1280.00

(94) - wooden beat

(as per drawing) --

--- --- RJ 250.00

STEPS & RA MP

(2) Excavation --

(1) 4' x 4' x 10' = 16.00

2 x 8' x 10' = 11.02 cu ft

24.30 cu ft

= 0.688 m<sup>3</sup> (@ Rs 30/m<sup>3</sup>)

--- --- RS 21.00

Continuation : RS 31820.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(ii) Sand spilling				8 ft.	31820-
4' x 4' x 2" = 4 cu					
2 x 8' x 10" x 3" = 3.2 cu ft					
= 0.207 m <sup>3</sup>				7.30	7.81
@ Rs. 93/- 80/m <sup>3</sup>					
					Rs. 19.00
(ii) Brick flat					
Sailing -					
4' x 4' = 16 sq ft					
2 x 8' x 2' 4" = 37.28 sq ft					
				53.28 sq ft	
= 4.95 m <sup>2</sup>					
@ Rs. 73.40/m <sup>2</sup>				-	Rs. 363.00

(iv) - P.C. c. (1:3:6)				
4' x 4' x 4" = 5.28 cu ft				
2 x 8' x 10" x 2" = 4.38 cu ft				
			9.66 cu ft	
= 0.274 m <sup>3</sup>				
@ Rs. 143.00/m <sup>3</sup>			-	Rs. 392.00

(v) - Brick work -				
(Li 6)				
4' x 4' x 6" = 8.00 cu ft				
4' x 3' x 6" = 6.00 cu ft				"
4' x 2' x 6" = 4.00 cu ft				"
4' x 1' x 6" = 2.00 cu ft				"
2 x 8' x 10" x 13" = 16.6 cu ft				
			= 36.6 cu ft	

Continuation

Rs. 32486.40

32594

## Sch. SLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	32594.0
cont.	10m (R)				
8ly	—	36.6 cft			
=	1.36 m <sup>3</sup>				
(@ Rs.)	1253.20 /m <sup>3</sup>				
	—	—	Rs. 12.99.0		
(V2)	25 mm P. D.S.				
flooring in Stamb.					
08' x 4' =	32.00	sq ft			
=	2.97 m <sup>2</sup>				
(@ Rs.)	82.15 /m <sup>2</sup>				
	—	—	Rs. 244.8		
(viii) — Providing Plaster & Painting					
4' x 6' x 6" =	1.28 ft				
	= 1.12 m <sup>2</sup>				
(@ Rs.)	51.83 /m <sup>2</sup>				
	—	—	Rs. 58.02		
Extn work —					
Roof slab projection					
6" RE - c. (1e. 2.4)					
1 x 7 x 9.9" x 6" =	34.195				
1 x 17.25" x 6" =	8.609	sq ft			
	49.795	sq ft			
	—				
= 3.971 m <sup>2</sup>					
(@ Rs.)	388.82 /m <sup>2</sup>				
	—	—	Rs. 1548.0		
	—	—	Rs. 35739.0		
less the cost of					
cement 25 bags @ Rs 143/bag					
	—	—	Rs. 3575		

Continuation Rs 32164.40

Sch. XLV-Form No. 134/10

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BP	32164.02
Brick C.P. 9.00 9%.				(+) B	2994.4
				(-) B	29240.4
Add the cost of cement - 25 bags					
@ Rs 143/- bag (+) M					3575.02
				(-) B	32815.02
Add the carriage of material					
M Sand 37 KM from Senghati					
Bulky - 746 cft.					
9.76 m <sup>3</sup> @ 21.124 m <sup>3</sup>					5329.0
@ Rs 252.29/m <sup>3</sup> - B					2465.0
				(-) B	38144
1% contingency - B					381
					38525.0
2.5% superintendence					
				(-) B	963.0
				(-) B	39488.0
First M.B. as per					
Page no - (1)					
				(-) B	117,050.0
				(-) B	156,538.0
Punjab State Board					
13.11.02 G					
To Supervisor S.S.A.					
Muslim Khan					
Azamgarh					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Df 156538/-

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D.	
LESS SALE-TAX					
<del>1.5 X 156538/-</del>					(-) 3131/-
ROYALTY 1.5/-					
<del>1.5 X 156538/-</del>	=				R 2348/-
<del>100</del>					B 151059/-

(one Lakh fifty one thousand and Fifty nine only)

Chennai  
Sri  
Vishnu  
25m  
02.08.09  
E

Continuation